आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ

सारण समाहरणालय, छपरा।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा
जिला विधि प्रशाखा
आपूर्त्ति अपील संख्या 74/11
योगेन्द्र राय बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य
आदेश

27/1/2015

संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1779/गो0 दिनांक 28.9.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी।

वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 11.9.11 को अपराह्न ,1.40 बजे अनुमंडल पदाधिकारी एव प्रखड आपूर्ति पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा योगेन्द्र राय, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति स0 187/07, पचायत–अवारी, थाना–मढ़ौरा, प्रखंड–मढ़ौरा की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के कम में निम्नांकित अनियमितताएँ पायी गयी:

1. दूकान से सबधित सूचनापटट एव मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से सधारित नहीं था।
2. आपके किरासन तेल के वितरण पजी मे उपभोक्ताओ का कमांक अंकित नहीं किया गया।
3. आपके वितरण पंजी में दिनांक 28.8.11 को 30.25 लीटर किरासन तेल का वितरण किया गया है, परन्तु भंडार पंजी में 60.5 लीटर प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 29.8.11 को वितरण पंजी मे वितरण शून्य है, परन्तु भंडार पंजी में 33 लीटर किरासन तेल प्रदर्शित किया गया है।
4. इसी प्रकार की अनियमितताएँ विभिन्न तिथियों को किरासन तेल/अन्त्योदय/बी.पी. एल. के वितरण पंजी में की गयी है।
5. जॉच पदाधिकारी को संबद्व उपभोक्ताओं की सूची प्रस्तुत नहीं किया जाना।

उक्त अनियिमतताओं के आलोक मे अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक

1607/गो0 दिनांक 11.9.11 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी, जिसमें विक्रेता को निदेश दिया गया कि दिनांक 13.9.11 को अपराहन 2.00 बजे सभी कागजातों यथा, बी.पी.एल/ अन्त्योदय / चीनी के स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी/ उपभोक्ताओं से प्राप्त कूपन/ कैशमेमो/ प्रखंड कार्यालय, महोरा से प्राप्त उपभोक्ता की सत्यापित प्रति मूल प्रति के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलकर्त्ता के द्वारा जॉच की तिथि को सूचनापट्ट सही तरीके से संधारित किया गया था। अपीलार्थी के द्वारा किरासन तेल के वितरण पंजी पर उपभोक्ताओं का नाम सही रूप से दर्ज किया गया था, लेकिन भूलवश उपभोक्ताओं का कमांक लिखना छूट गया था, जो बहुत साधारण प्रकृति की भूल कही जाएगी। वितरण पंजी में स्टॉक मामूली कमी–वेशी का दर्ज होना लिपिकिय भूल है, जो साधारण प्रकृति की भूल है। सभी पंजी सही रूप में संधारित है। कहीं–कहीं भूलवश तिथि में अंतर हो गया है। उपभोक्ता सूची प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से अपीलकर्त्ता को प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उसे नहीं दर्शाया जा सका। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तो, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश में कई कमियॉ दृष्टिगोचर हो रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपीलार्थी से पूछे गए स्पष्टीकरण में कमांक 03 में किरासन तेल के भंडार पंजी एवं वितरण पंजी में अंकित विवरणी में मामूली–सा अंतर है। कमांक 04 में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा यह स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है कि विभिन्न तिथियों को विभिन्न योजनाओं की पंजी में किस प्रकार की अनियमितता अंकित थी। इसी प्रकार अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में कई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन इससे संबंधित द्वितीय कारणपृच्छा अपीलार्थी से नहीं की गयी एवं अपीलार्थी के द्वारा समर्पित कागजातों में पायी गयी अनियमितताओं को आधार बनाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति

	रद्द कर दी गयी, जो प्राकृतिक न्याय के विपरित प्रतीत होती है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है। वाद निष्पादित। लेखापित एवं संशोधित जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा	

ज्ञापांक 53 दिनांक 29/1/2015

प्रतिलिपिः—अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
29/1/15